न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 100 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

मोतीलाल पुत्र श्री नानजीराम **बनाम** 1.तुलछाराम पुत्र रामलाल वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री गणपत गुप्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 03 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–16.04.2025

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2016 में प्रार्थी तुलछाराम पुत्र रामलाल के खेत खसरा संख्या 41 / 4 मौजा मोडावास के संबंध में सम्परिवर्तन के संबंध में पारित किये गये हैं। उसके विरूद्ध हस्तगत अपील श्रीमान के समक्ष पेश की गई। खसरा संख्या 41 / 4 के खेत के सड़क नहीं लगती है। मेगा हाईवे से यह खेत खसरा संख्या 41 / 4 के बीच में खसरा संख्या 42 की ओरण की भूमि आती है। गोचर व ओरण को समर्पण नहीं करवाया जा सकता है। विवादित खेत के ऊपर से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की 11 के वी की विद्युत लाईन गुजरती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर गौर किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलकर्ता ग्राम रतनपुरा का एक जागरूक नागरिक है तथा उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा गलत एवं बेबुनियाद आधारों पर उक्त सम्परिवर्तन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उस आदेश को निरस्त करवाने बाबत् एक जागरूक नागरिक की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनरथ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन आदेश नियमानुसार विधि सम्मत पारित किया गया। सड़क की मध्य सीमा से उत्तरदाता की संपरिवर्तित भूमि हाईवे के मापदंड के अनुसार सड़क सीमा से लगती है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी अवस्थित है वहां का निवासी नहीं है। अपीलांट का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में बाद विस्तृत विवेचन आदेश पारित किया गया। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, तथा वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 96 सी पी सी में वर्णित तथ्यों की ताईद में आवेदन के संलग्न शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया। शपथ–पत्र पेश नहीं करने के कारण अपीलांट के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलांट वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरता है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज योग्य है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जाती है।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर